VIII. मू.सां.वि.-2 विवरणी भरने के दिशा निर्देश/अनुदेश

1. **संदर्भ दिनांक:** विवरणी जिस दिनांक से संबंधित है, उसे दिए गए स्थान में लिखें।

2. **नाम और पता:** शाखा/कार्यालय का नाम और पूरा पता स्पष्ट रुप से लिखें।

3. **एक समान (यूनिफॉर्म) शाखा कूट:** एक समान शाखा कूट दो हिस्सों का होता है: भाग I और भाग II और इनका उल्लेख आस-पास किया जाना चाहिए। प्रत्येक शाखा कृपया विवरणी के प्रत्येक पृष्ठ में रबड़ स्टैंप से भाग I और भाग II कूटों को दर्शाये ताकि समान शाखा कूट सूचित करते समय किसी प्रकार की अपठनीयता न रहे।

4. **सुपाठ्यता (स्पष्टता):** विवरणी की मूल प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाए। यदि प्रतिलिपि ही भेजनी पड़े तो यह सुनिश्चित करे कि सभी अंक और अक्षर स्पष्ट हों, आसानी से पढ़े जा सकें और विवरणी का कोई भी हिस्सा नहीं छूटे, कटा-फ़टा न हो और किसी अंक के ऊपर कुछ न लिखा हो, अर्थात् ऊपरिलेखन न हो।

5. **रोजगार विवरण:** शाखा/कार्यालय के रजिस्टर में विवरणी के दिनांक को जितने भी स्थायी या अस्थायी स्टाफ़ हैं और वो भी जो छुट्टी पर हैं, सभी को रिपोर्ट किया जाए। इसमें वास्तविक स्टाफ़ संख्या दर्शाई जाए न कि स्वीकृत (संख्या)। पार्ट टाइम और अनियत (कैजुअल) कर्मचारी नहीं लिए जाएं। संख्या 101 में महिला कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या सूचित की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक श्रेणी के सामने एक ही संख्या दर्ज की गई है।

6. **(ए) भाग I: प्रकार के अनुसार जमा राशियों का वर्गीकरण**

(1) अंतर बैंक जमाराशियों को अलग से विवरणी के भाग I के बॉक्स (कूट संख्या 800) में दिखाया जाए।

(2) विवरणी के भाग II से भाग V तक अंतर बैंक जमाराशियां हटा दी गई हैं।

(3) संदर्भित वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार फॉर्म ए विशेष विवरणी, धारा 42 (2) के तहत भारत में सकल (एग्रिगेट) जमा राशियां बैंकों के अलावा कूट 999 में दर्ज की जाएं।

(4) विवरणी के इस भाग में दर्ज की जमा राशियों की व्याप्ति वही होनी चाहिए, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(2) के तहत जमा की गई पाक्षिक विवरणी में दर्ज की गयी है। यदि जमाकर्ता के खाते में उपचित और देय (अक्रूड एंड पेएबल) ब्याज को क्रेडिट नहीं किया गया है तो इसे अन्य देयताएं माना जाए और मू.सा.वि.-2 में शामिल नहीं किया जाए (जमा राशियों की विस्तृत परिभाषा के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश (मास्टर सर्कुलर) देखें:- घरेलू, सामान्य अनिवासी (एनआरओ) और अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) खातों के रुपया जमाराशियों (रूपी डिपॉज़िट्स) की ब्याज दरों पर 2 जुलाई 2007 का मास्टर सर्कुलर डीबीओडी. नं. डी आइ आर. बीसी. 7/13.03.00/2006-07 और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के जरिये किए गए संशोधनों को देखें।

(5) बचत जमा माँग जमा का एक स्वरूप है, चाहे उसे बचत खाता बचत, बैंक खाता, बचत जमा खाता या अन्य कोई नाम दिया गया हो जिस पर आहरण (विथड्राअल) की संख्या और राशि पर बैंक द्वारा अपने सेविंग्स

अकाउंट नियमावली के अंतर्गत किसी निर्दिष्ट अवधि में एक सीमा निर्धारित की गई हो। इसमें विशेष बचत जमाराशियां शामिल होंगी।

(6) मीयादी जमा का अर्थ है एक निश्चित मीयाद/अवधि के लिए बैंक के पास रखी गई जमाराशि, जो उस मीयाद/समय सीमा के बाद ही निकाली जा सके। वर्तमान में मीयादी (सावधि) जमाराशियां वैसी डिपॉज़िट्स हैं, जो सात (7) दिनों से कम न हों या जिसमें 15 दिनों का नोटिस जरूरी हो। इनमें ये भी शामिल हैं : (ए) 14 दिनों के बाद देय जमाराशियां (इंटर-बैंक जमाराशियां भी) (बी) नकदी प्रमाण पत्र (कैश सर्टिफ़िकेट) (सी) संचयी, (क्युमुलेटिव) आवर्ती (रिकरिंग) वार्षिकी (एन्युइटि) या पुनर्निवेश (रिइन्वेस्टमेंट) जमा राशियां (डी) कुरी और चिट डिपॉजिट्स (ई) जमा प्रमाणपत्र (सर्टिफ़िकेट्स ऑफ़ डिपॉजिट्स) (एफ़) सावधि जमाराशियों और (जी) सावधि जमाराशियों की प्रकृति वाली कोई अन्य विशेष जमाराशि (स्पेशल डिपॉजिट्स)। इन जमा राशियों पर उपचित और देय ब्याज (इंटरेस्ट अक्रूड एंड पेएबल) को अन्य देयताएं माना जाए और इसलिए इन्हें विवरणी के इस भाग में शामिल नहीं किया जाए।

(7) चालू खाता (करेंट अकाउंट) का अर्थ होगा एक तरह की मांग जमाराशियां जिसमें यदि पैसा हो तो आहरण किए जाने की संख्या पर कोई रोक न हो अथवा एक तयशुदा राशि तक आहरण किया जा सके तथा इसमें वैसे जमा खाते भी आएंगे जो न बचत जमा हैं और न ही सावधि जमा। वर्तमान में चालू खाते में ये शामिल हैं:- (ए) डिमांड पर निकाली जा सकने वाली जमा राशियां (बचत जमा राशियों को छोडकर) 7 दिनों से कम परिपक्वता की अवधि या 15 दिनों से कम दिनों की नोटिस वाली जमाराशियाँ (बी) कॉल डिपॉजिट्स जिन्हें 15 दिनों में निकालना ही है। (सी) लावारिस या अदावी (अनक्लेम्ड) जमा राशियां, (डी) अतिदेय (ओवरड्यू) फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स (ई) कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ़्ट खातों में क्रेडिट बैलेंस और (एफ़) आकस्मिकता असमायोजित (कॉन्टिंजेंसी अनएडजस्टेड अकाउंट्स यदि वे जमाराशियों (डिपॉज़िट्स) की प्रकृति वाली हैं। इसका अवश्य ध्यान रखा जाए कि बैंक, यूटीआई, एल्आइसी इत्यादि में मांग (कॉल) या 14 दिन तक की अल्प सूचना (शॉर्ट नोटिस) जमा राशियों को उधार समझा जाए और उन्हें इस विवरणी (रिटर्न) में शामिल नहीं किया जाए। तथापि, करेंट अकाउंट में अंतर (इंटर) बैंक जमा राशियों को शामिल किया जाए।

(8) स्टाफ जमानत जमा राशियां, मार्जिन जमा राशियां, और स्टाफ़ भविष्य निधि जमा राशियों को इन पर मिलने वाले ब्याज के आधार पर चालू या सावधि (करेंट या फ़िक्स्ड) जमाराशियों में बांटा जा सकता है।

(9) खातों की संख्या जो हो वही दी जाए जबकि, जमा राशियों को, बिना दशमलव बिंदुओं के निकटतम हज़ार में पूर्णांकित किया जाए।

(10) जहाँ कोई भी अंक रिपोर्ट करने केलिए न हो वहाँ डैश (-) प्रविष्टि की जाए।

(11) भाग I के स्तंभ 2 और 3 के अंतर्गत व्यक्तियों में हिंदू अविभक्त परिवार शामिल हैं। निवासी या अनिवासी व्यक्ति, किसान व्यवसायी, व्यापारी, पेशेवर व स्वरोजगारी मजदूरी व वेतन पानेवाले, इ. श्रेणियों से संबंधित आंकडे इस वर्ग में रिपोर्ट किये जाए। संयुक्त व्यक्तियों के अंतर्गत खातों के मामले में प्रथम खाता धारक लिंग के आधार पर उस खाते को 'महिला' श्रेणी में रखने का निर्णय लिया जाए।

(**बी**) **भाग II मूल परिपक्वता के अनुसार सावधि जमा राशियों का वर्गीकरण**

(1) भाग II में सावधि जमाराशियों की बकाया राशियों को परिपक्वता की मूल अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया जाए, जिसके लिए जमाकर्ता ने शाखा में जमा राशि रखी है तथा सर्वेक्षण के संदर्भ दिनांक पर वह बकाया है।

(2) भाग I के स्तंभ 2 और 3 के अंतर्गत व्यक्तियों में हिंदू अविभक्त परिवार आते हैं। इस वर्ग में निवासी या अनिवासी व्यक्ति, किसान, व्यवसायी, व्यापारी, पेशेवर और स्वरोजगारी, मजदूरी व वेतन पाने वाले इ. श्रेणियों से संबंधित आंकडे दर्ज किये जाएँ।

(3) भाग I और भाग II में दर्ज किये गए आकडों की आपस में सुसंगति: भाग II के विभिन्न स्तंभों के अंतर्गत कूट 400 में की गई खातों की संख्या/राशि भाग I के कूट 203 में उन्हीं स्तंभों में बताई गई संख्या/राशि से मेल खानी चाहिए।

(**सी**) **ब्याज दर की रेंज के अनुसार सावधि जमा राशियों का वर्गीकरण**

(1) भाग III में सावधि जमाराशियों की बकाया राशियां उन ब्याज दरों के अनुसार वर्गीकृत की जाएं जिनके लिए जमाकर्ता ने उस शाखा में जमा राशि रखी है और संदर्भ अवधि पर जो बकाया है, उसके अनुसार इन जमा राशियों को, ब्याज दर की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाए।

(2) भाग III के स्तंभ 2 और 3 के तहत व्यक्तियों में हिंदू अविभक्त परिवार शामिल हैं। निवासी या अनिवासी व्यक्ति, किसान, व्यवसायी, व्यापारी, पेशेवर और स्वरोजगारी, मजदूरी व वेतन पाने वाले जैसी श्रेणियों से संबंधित आंकडे इस वर्ग में दर्ज किए जाए।

(3) भाग I और भाग III में दर्ज किए गए आंकडे की आपस में सुसंगति: भाग III के विभिन्न स्तंभों के अंतर्गत कू ट 500 में दर्ज की गई खातों की संख्या/राशि भाग 1 के कूट 203 में उन्हीं स्तंभों में बताई गई संख्या/राशि से मेल खानी चाहिए।

(**डी**) **भाग IV जमा राशियों के आकार के अनुसार सावधि जमाराशियों का वर्गीकरण**

(1) भाग IV में मीयादी जमाराशियों केबकाये को संदर्भित अवधि को जमाकर्ताओं द्वारा शाखा के पास जमा की गयी राशि और बकाये के आकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

(2) भाग IV के स्तंभ 2 और 3 के तहत व्यक्तियों में हिंदू अविभक्त परिवार शामिल हैं। इस वर्ग में निवासी या अनिवासी व्यक्ति, किसान, व्यवसायी, व्यापारी, पेशेवर व स्वरोजगारी, मजदूरी और वेतन पाने वाले जैसी श्रेणियों से संबंधित आंकडे दर्ज किये जाए।

(3) भाग I और भाग IV में दर्ज किए गए आंकडो की आपस में सुसंगति: भाग IV के विभिन्न स्तंभों के अंतर्गत कूट 600 में दर्ज की गई खातों की संख्या /राशि भाग I के कूट 203 में उन्हीं स्तंभों के अंतर्गत बताई गई संख्या/राशि से मेल खानी चाहिए।

(ई) भाग V- उर्वरित परिपक्वता (रेज़िड्यूअल मैच्युरिटि) के अनुसार सावधि जमा राशियों का वर्गीकरण

(1) विवरणी के इस हिस्से से परिपक्वता की शेष/उर्वरित अवधि के अनुसार वर्गीकृत सावधि जमाराशियों की बकाया राशि पर सूचना प्राप्त की जाती है।

(2) भाग V में सावधि जमा राशियों की बकाया राशियों को परिपक्वता की शेष अवधि (रेजिड्युअल पीरियड) के अनुसार बांटा जाना है जिसके लिए जमाकर्ता ने शाखा में जमाराशि रखी है और सर्वेक्षण के संदर्भ दिनांक को बकाया के अनुसार।

(3) भाग V के स्तंभ 2 और 3 के अंतर्गत व्यक्तियों में हिंदू अविभक्त परिवार शामिल है। निवासी या अनिवासी व्यक्ति, व्यवसायी, व्यापारी, पेशेवर व स्वरोजगारी, वेतन व मजदूरी पाने वाले जैसी श्रेणियों से संबंधित आंकडे इस श्रेणी में दर्ज किए जाएं।

(4) भाग I और भाग V में दर्ज किए गए आंकडों की आपस में सुसंगतिः भाग V के विभिन्न स्तंभों के अंतर्गत कूट 700 में दर्ज की गई खातों की संख्या/राशि भाग I के कूट 203 में उन्हीं स्तंभों में दी गई संख्या/राशि से मेल खानी चाहिए।